## SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE **CRIMINAL** PROCEDUR CODE, 1898

In the court of . प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी.गोहद प्रकरण क्रमांक 70/17

Name and address of the complain मoप्रo शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराह जिला भिण्ड म0प्र0

name, parentage, caste and address of accused-

नाम-जितेन्द्र सिंह पुत्र कालीचरन जाटव उम्र 24 वर्ष निवासी महेष कृषि फार्म ग्वालियर हाल निवास ग्राम खनैता थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०

## The offence complained of, and date of its alleged commission

यहिक आपने दिनांक 24.02.17 को 19 बजे श्याम मेडिकल के सामने स्टेशन रोड गोहद चौराहा पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन इनोवा कार क्रमांक एमपी 07 एचए 9250 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत अनिल में टक्कर मार कर उसे साधारण उपहति कारित की।

तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा २७७, एवं ३३७ भादस के अंतर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों

The plea of the accused and bis examination [if any]-

आरोपी का अभिवाक—

THINR

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the offence has been committed.

## / / निर्णय / /

## (आज दिनांक 04.04.2017 को घोषित)

- 1. अभियुक्त को धारा 279 एवं धारा 337 भादस के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 279 एवं धारा 337 भादस के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एंव प्रकरण के तथ्य व परिस्थितयों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरोपित करने से ही न्याय के उददेश्यों से ही पूर्ति हो सकती हैं।
- 3. फलस्वरूप आरोपी को धारा 279 भादस के अंतर्गत न्यायालय उढने तक के कारावास एवं 500 रूपऐ के अर्थदण्ड तथा अर्थदंड में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण करावास एवं भा.दं.सं. की धारा 337 के अंतर्गत न्यायालय उढने तक का कारावास एवं 500 / रूपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड में व्यतिक्रम होने पर 15 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
- 4. कारावास की सभी सजायें एकसाथ चलेंगी ।
- 5. जप्तशुदा वाहन वाहन के पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

स्थान—गोहद दिनांक—04.04.17 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी गोहद

